"विधि अनुसंधान साधनों के उपयोग" पर प्रशिक्षण

विधि कार्य विभाग ने 9 अप्रैल 2025 (बुधवार) को सुबह **10:30 बजे से** अपराह्न **12:00 बजे तक द्वितीय तल** स्थित **कॉन्फ्रेंस हॉल** में **"विधि अनुसंधान के साधनों के उपयोग"** शीर्षक से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह पहल विभाग द्वारा अपने अधिकारियों की विधि अनुसंधान क्षमताओं और तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा थी।

उप विधि सलाहकार श्री जे.पी. दुबे ने सत्र का संचालन किया, जिन्होंने रिसोर्स पर्सन **के** रूप में कार्य किया। अपने व्यापक कानूनी अनुभव का लाभ उठाते हुए, श्री दुबे ने प्रतिभागियों को आधुनिक विधि अनुसंधान पद्धतियों की गहन समझ प्रदान की जिसमें डिजिटल डेटाबेस, विधि सूचना प्रणाली, केस लॉ पुनर्प्राप्ति तकनीक, वैधानिक व्याख्या साधन और अन्य प्रासंगिक ऑनलाइन विधि संसाधनों के उपयोग शामिल थे।

प्रशिक्षण में **सहायक विधि सलाहकार**, **अधीक्षक(विधि)** और **सहायक (विधि)** सहित विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें **केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग (सीएएस)** और **विधायी विभाग (एलसीआई) के अधिकारी** व साथ ही सभी **शाखा सचिवालयों** के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

सत्र में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- ऑनलाइन विधि अनुसंधान प्लेटफार्मों का कुशल उपयोग
- निर्णयों, संविधियों और विधि टिप्पणियों को पुनः प्राप्त करने की तकनीकें
- जांच रणनीतियों और उद्धरण ट्रैकिंग का व्यावहारिक प्रदर्शन
- मत और संक्षिप्त विवरण तैयार करने में कानूनी शोध का महत्व

प्रतिभागियों ने प्रश्नों और चर्चाओं के माध्यम से रिसोर्स पर्सन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, जिससे सत्र अत्यधिक संवादात्मक और जानकारीपूर्ण बन गया। प्रशिक्षण को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उम्मीद है कि इससे अधिकारियों को अपने कानूनी कर्तव्यों को अधिक सटीकता और दक्षता के साथ निभाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।